समक्ष एम. एम. कुमार, न्यायमूर्ति

मदन लाल बाउंट्रा - याचिकाकर्ता

बनाम

भीम सिंह - उत्तरदाता

2003 का सी.ओ.सी.पी. संख्या 87

18 अगस्त, 2003

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 - धारा 2 (ख) - किरायेदार को परिसर से बाहर निकालने का आदेश देने वाली सर्वप्रथम अपीलीय अदालत - किरायेदार द्वारा परिसर खाली करने के लिए समय देने का वचन देने पर उच्च न्यायालय - किरायेदार द्वारा अपने वचन का पालन करने में विफल रहना - किरायेदार द्वारा भूमि से शेड संरचना आदि को हटाने के समय किरायेदार द्वारा लगाए गए संरचना, शेड और गेट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है - उच्च न्यायालय के आदेश और वचन का उल्लंघन - नागरिक अवमानना का दोषी -किरायेदार का दूषित आचरण - दो महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास का आदेश दिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया ,धारा 2 (बी) के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि यदि अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति 'नागरिक अवमानना' का दोषी है। किरायेदार ने दिनांक 25 जनवरी, 2002 के आदेश और 28 जनवरी, 2002 के वचन पत्र का उल्लंघन किया है। आदेश की अवहेलना करने के इरादे का अनुमान उनके आचरण से लगाया जा सकता है जब उन्होंने अवमानना याचिका के नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए एक आदेश पारित किया गया। इसके बाद, 28 जुलाई, 2003 को इस न्यायालय ने उन्हें इस तारीख अर्थात 18 अगस्त, 2003 से पहले परिसर का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने जमीन का कब्जा तो सौंप दिया है लेकिन जमीन से शेड, स्ट्रक्चर और गेट आदि हटा दिए हैं। इस न्यायालय ने दिनांक 27 अगस्त, 2003 के आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि संरचना आदि का उसका अधिकार निष्पादन न्यायालय के निर्णय के अधीन था लेकिन अवमाननाकर्ता ने कानून को अपने हाथों में लेना पसंद किया है और इस प्रकार उसने और अवमानना की है।

इसके अलावा, अवमाननाकर्ता को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी ठहराया गया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने जानबूझकर 25 जनवरी, 2002 के अपने आदेश के अनुसरण में इस न्यायालय को दिए गए 28 जनवरी, 2002 के वचन का उल्लंघन किया है, फिर उसने समन स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और 28 जुलाई के आदेश का भी उल्लंघन किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उन्हें देश के कानून और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कोई सम्मान नहीं है। अत, अवमाननाकर्ता प्रतिवादी को दिनांक 25 जनवरी, 2002 के आदेश, दिनांक 28 जनवरी, 2002 के वचन पत्र और 28 जुलाई, 2003 के आदेश का उल्लंघन करके इस न्यायालय की अवमानना करने का दोषी ठहराया जाता है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरपी सिंह।

प्रतिवादी की ओर से वकील दीपक अग्निहोत्री.

निर्णय

एम. एम. कुमार, न्यायमूर्ति

1. न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत दायर यह अवमानना याचिका 2001 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 5628 में इस न्यायालय द्वारा पारित 25 जनवरी, 2002 के आदेश में दर्ज वचन के उल्लंघन की शिकायत करती है। किरायेदार-प्रतिवादी श्री भीम सिंह पुत्र श्री मोती राम नीचे दोनों न्यायालयों के समक्ष हार गए थे। दोनों अदालतों ने उन्हें मृत परिसर से बाहर निकालने का आदेश दिया है। अपीलीय प्राधिकारी, रोहतक द्वारा पारित दिनांक 22 सितम्बर, 2001 के आदेश का प्रचालनात्मक भाग 2003 के सीएम सं. 1087-सीआईआई के साथ अनुलग्नक पी-2 निम्नानुसार है:—

> पीठ ने कहा, "तदनुसार, मौजूदा अपील में कोई दम नहीं है। इसलिए, इसे लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। तदनुसार, प्रतिवादी/मकान मालिक की हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1973 की धारा 13 (3-ए) के तहत वर्तमान निष्कासन याचिका सफल होती है और प्रतिवादी/अपीलकर्ता के खिलाफ निष्कासन आदेश की पुष्टि की जाती है, जिसे 30 दिनों के भीतर परिसर के खाली कब्जे को सौंपने का निर्देश दिया जाता है।

2. इसके बाद किरायेदार-प्रतिवादी ने 2001 के सिविल रिवीजन नंबर 5628 को दायर करके इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया कि चूंकि वह लगभग तीन दशकों से विचाराधीन भूमि पर कब्जे में हैं और वह अपना व्यवसाय चला रहे हैं।

परिसर में सर्विस स्टेशन, उसे वैकल्पिक आवास खोजने और उसमें स्थानांतरित करने के लिए कुछ समय दिया जा सकता है। उनके अनुरोध को उचित मानते हुए, इस न्यायालय ने 25 जनवरी को फैसला सुनाया। वर्ष 2002 में उन्हें 31 दिसम्बर, 2002 तक परिसर पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। दिनांक 25 जनवरी, 2002 के आदेश द्वारा कुछ शर्तें लगाई गई थीं जो निम्नानुसार हैं-

(i) याचिकाकर्ता किरायेदार 31 जनवरी, 2002 को या उससे पहले इस न्यायालय में एक हलफनामा दायर करेगा जिसमें विचाराधीन परिसर को खाली करने और उसे प्रतिवादी संख्या 12को सौंपने का प्रावधान है। 31 दिसंबर, 2002 को या उससे पहले मकान मालिक.

(ii) याचिकाकर्ता किरायेदार किराए की सभी बकाया राशि, यदि कोई हो, का भुगतान प्रतिवादी संख्या 100 को करता है। मकान मालिक 31 जनवरी, 2002 को या उससे पहले और 31 दिसंबर, 2002 तक के सभी भावी किराए का भुगतान 31 मार्च, 2002 को या उससे पहले कर दिया जाएगा।

3.यह स्पष्ट किया गया था कि यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी निर्धारित समय तक पालन नहीं किया जाता है, तो अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी को तुरंत बेदखल किया जा सकता है। तदनुसार, किरायेदार अवमाननाकर्ता प्रतिवादी ने दिनांक 25 जनवरी, 2002 के आदेश के संदर्भ में एक वचन पत्र के साथ 28 जनवरी, 2002 को अनुलग्नक पी-2 में एक हलफनामा दायर किया, जो निम्नानुसार है।-

"माननीय न्यायालय के दिनांक 25 जनवरी, 2002 के आदेश के अनुसार आवेदक यह वचन देता है कि वह 31 दिसंबर, 2002 तक विचाराधीन भूमि/परिसर को खाली कर देगा और 25 जनवरी, 2002 के आदेश का सभी प्रकार से पालन करेगा।

4. यह शिकायत की गई है कि 28 जनवरी, 2002 को इस न्यायालय के समक्ष दिए गए वचन का पालन नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप किरायेदार-प्रतिवादी के खिलाफ 23 जनवरी, 2003 को तत्काल अवमानना याचिका दायर की गई है।

5.अवमानना का नोटिस जारी किया गया था और कार्यालय ने 9 मई, 2003 की अपनी रिपोर्ट में सूचित किया था कि अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी ने नोटिस देने से इंकार कर दिया है। 24 जुलाई, 2003 को इस न्यायालय ने निदेश दिया कि अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी 28 जुलाई, 2003 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त तारीख पर इस न्यायालय ने अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी की आपत्ति दर्ज की, जिसने कहा कि किराए की जमीन पर कुछ निर्माण था जिसे वह हटाने का हकदार था और इस कारण से उसने परिसर खाली नहीं किया था। यह आगे देखा गया कि चूंकि 25 जनवरी, 2002 को इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया था जब 2001 के सिविल संशोधन संख्या 5628 में आदेश पारित किया गया था। दिनांक 25 जनवरी, 2002 के आदेश और दिनांक 28 जनवरी, 2002 के वचन की शर्तों का उल्लंघन करने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए, अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी को 28 जनवरी, 2002 को उनके द्वारा किए गए परिसर को खाली नहीं करने के लिए प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी ठहराया गया था। यह न्यायालय अवमाननाकर्ता प्रतिवादी को निष्पादन न्यायालय के समक्ष शेड या फल आदि का दावा करने के अधिकार के अधीन परिसर खाली करने का निर्देश देता है। इस न्यायालय द्वारा 28 जुलाई, 2003 को पारित आदेश निम्नानुसार पढ़ा गया:—

> पीठ ने कहा, नोटिस जारी किया गया था और सेवा की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी ने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, पिछली सुनवाई के समय, प्रतिवादी के वकील पेश हुए और समय मांगा। प्रतिवादी को अदालत में उपस्थित रहने की आवश्यकता थी और वह आज उपस्थित है। प्रतिवादी के वकील ने कहा कि किराए की जमीन और प्रतिवादी-किरायेदार से संबंधित बेदखली याचिका ने उसी पर निर्माण किया है, जिसे वह हटाने का हकदार है और इसलिए, प्रतिवादी खाली नहीं कर रहा है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने उसे शेड हटाने में बाधा डाली थी।
>
> इस न्यायालय में दर्ज वचन पत्र में शेड हटाने के प्रतिवादी-किरायेदार के किसी भी अधिकार का उल्लेख नहीं है। किसी भी मामले में,

खाली करने का समय 31 दिसंबर, 2002 तक था और उसके बाद, कोई विस्तार नहीं मांगा गया था और न ही अब प्रस्तुत की गई दुविधा को इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया था। इस प्रकार, प्रतिवादी स्पष्ट रूप से अवमानना का दोषी है। खुद को अवमानना से मुक्त करने के लिए, प्रतिवादी को अब अगली तारीख से पहले परिसर का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया जाता है। यदि प्रतिवादी का किसी निर्माण पर कोई दावा है, तो वह निष्पादन अदालत में इसे आगे बढ़ा सकता है, लेकिन यह खाली करने के वचन का उल्लंघन करते हुए परिसर में बने रहने का बहाना नहीं हो सकता है।

तब तक के घटनाक्रम के आलोक में सजा का उचित अंतिम आदेश पारित करने के लिए 18 अगस्त, 2003 को फिर से सूचीबद्ध किया जाए।

6. याचिकाकर्ता ने 14 अगस्त, 2003 के मकान मालिक-याचिकाकर्ता के हलफनामे के साथ एक आवेदन दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी ने परिसर को खाली करने का आश्वासन दिया था, लेकिन मकान मालिक-याचिकाकर्ता को कब्जा सौंपने के बजाय, उन्होंने चारदीवारी और शेड सहित साइट पर अन्य संरचना को ध्वस्त कर दिया है। इस संबंध में रोहतक के सिविल लाइंस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। दिनांक 7 अगस्त, 2003 की शिकायत की एक प्रति अनुपत्र पी-1 के रूप में संलग्न की गई है। अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया गया है जिसमें उसने कहा है कि उसने किराए की जमीन खाली कर दी है। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने उपरोक्त भूमि पर उनके द्वारा रखी गई या उनसे संबंधित सभी सामग्री को हटा दिया है।

7. याचिकाकर्ता के वकील श्री आर.पी.एस.अहलूवालिया ने तर्क दिया है कि अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी ने इस न्यायालय द्वारा पारित 25 जनवरी, 2002 के आदेश और 2001 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 5628 में दायर 28 जनवरी, 2002 के वचन का उल्लंघन किया है। इस न्यायालय ने 28 जुलाई, 2003 को अवमाननाकर्ता प्रतिवादी को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी पाया है क्योंकि कम कार्रवाई किए जाने के बावजूद उसने परिसर खाली नहीं किया। विद्वान वकील के अनुसार दिनांक 28 जुलाई, 2003 के आदेश में यह बिल्कुल स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि संरचना, शेड आदि के बारे में कोई आपत्ति उस समय नहीं उठाई गई थी जब 2001 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 5628 में इस

न्यायालय द्वारा पारित 25 जनवरी, 2002 के आदेश के आधार पर 28 जनवरी, 2002 के आदेश पर वचन दिया गया था। वह परिसर खाली करने के लिए बाध्य था और संरचना आदि के उसके अधिकार को निष्पादन न्यायालय के आदेश के अधीन व्यवहार में रखा गया था। विद्वान वकील ने बताया है कि हलफनामे में अवमाननाकर्ता प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि शेड और संरचना आदि को उसके द्वारा हटा दिया गया है। उन्होंने मार्क 'ए' से 'एच' की तस्वीरों को भी रिकॉर्ड पर रखा है, यह तर्क देने के लिए कि ईंटों को ले जाने के लिए नींव भी खोदी गई है। हालांकि, अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी को अभी भी मकान मालिक-याचिकाकर्ता को परिसर सौंपकर अदालत को दिए गए वचन का पालन करने का अवसर दिया गया था।.

8. अवमाननाकर्ता प्रतिवादी के वकील श्री अग्निहोत्री ने बताया है कि खाली भूमि का कब्जा मकान मालिक-याचिकाकर्ता को दे दिया गया है। विद्वान वकील का कहना है कि 16 अगस्त, 2003 को किराया नियंत्रक के समक्ष एक आवेदन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि वह किराए की जमीन से चारदीवारी, अस्थायी शेड, कमरे का गेट और अन्य सामग्री हटाना चाहता है, जबकि याचिकाकर्ता उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा था और इसलिए, उसके द्वारा शेड को हटाना किसी भी तरह से किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं करता है।

9. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी भीम सिंह ने 2001 के सिविल नंबर 5628 में पारित 25 जनवरी, 2002 के आदेश के अनुसरण में इस न्यायालय को दिए गए 28 जनवरी, 2002 के वचन का उल्लंघन किया, क्योंकि उन्होंने 31 दिसंबर तक परिसर खाली नहीं किया था। 2002 जो उन्होंने करने का बीड़ा उठाया था। अपीलीय प्राधिकारी के दिनांक 22 सितम्बर, 2001 के आदेश में संरचना अथवा शेड आदि का कोई उल्लेख नहीं है। यहां तक कि दिनांक 25 जनवरी, 2002 के आदेश अथवा 28 जनवरी, 2002 के वचन पत्र में भी संरचना, शेड आदि का ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी का आचरण असंगत है और धारा 2 (बी) में प्रयुक्त 'नागरिक अवमानना' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जो निम्नानुसार है।__

> (बी) "नागरिक अवमानना" का अर्थ है किसी अदालत के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर

अवज्ञा करना या अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन . करना।."

10. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि यदि न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति 'नागरिक अवमानना' का दोषी है। वर्तमान मामले में उन्होंने दिनांक 25 जनवरी, 2002 के आदेश और 28 जनवरी, 2002 के वचन पत्र का उल्लंघन किया है। आदेश की अवहेलना करने के इरादे का अनुमान उनके आचरण से लगाया जा सकता है जब उन्होंने अवमानना याचिका के नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए एक आदेश पारित किया गया। इसके बाद 28 जुलाई, 2003 को इस न्यायालय ने उन्हें इस तारीख अर्थात 18 अगस्त, 2003 से पहले परिसर का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने जमीन का कब्जा तो सौंप दिया है लेकिन जमीन से शेड, स्ट्रक्चर और गेट आदि हटा दिए हैं। इस न्यायालय ने दिनांक 28 जुलाई, 2003 के आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि संरचना आदि का उसका अधिकार निष्पादन कर्ता के निर्णय के अधीन था, लेकिन अवमाननाकर्ता ने कानून को अपने हाथों में लेना पसंद किया है और इस प्रकार उसने और अवमानना की है। यह स्वीकार किया जाता है कि 28 जुलाई, 2003 से 16 अगस्त, 2003 तक उन्होंने शेड, संरचना, गेट आदि को यह दावा करते हुए हटा दिया कि संरचना आदि उनकी है। मार्क 'ए' से 'एच' तक की तस्वीरों से अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी के आचरण के बारे में एक कहानी का पता चलता है। अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी ठहराया जा चुका है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने इस न्यायालय के दिनांक 25 जनवरी, 2002 के आदेश के अनुसरण में दिए गए 28 जनवरी, 2002 के वचन का जानबूझकर उल्लंघन किया है, तब उसने सम्मन स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28 जुलाई, 2003 के आदेश का भी उल्लंघन किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उन्हें देश के कानून और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कोई सम्मान नहीं है। इसके अलावा, अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी को दिनांक 25 जनवरी, 2002 के आदेश, दिनांक 28 जनवरी, 2002 के वचन पत्र और दिनांक के आदेश का उल्लंघन करके इस न्यायालय की अवमानना करने का दोषी ठहराया जाता है।

11. अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी को दोषी ठहराने के बाद, अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी के वकील को सजा पर बहस को संबोधित करने का अवसर दिया जाता है।

12. अवमाननाकर्ता की ओर से पेश वकील दीपक अग्निहोत्री ने कहा कि वह 65 वर्ष के बुजुर्ग हैं और वह अपने गलत कामों के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। आगे कहा गया है कि वह दिल की बीमारी से पीड़ित हैं।.

13. अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री अग्निहोत्री की दलीलों को ध्यान में रखते हुए और इस न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने और इस न्यायालय को दिए गए वचन के लिए अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी के उदार दृष्टिकोण और असंगत आचरण को ध्यान में रखते हुए, मैं आदेश देता हूं कि उन्हें दो महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास दिया जाए।.

14. अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 19 द्वारा प्रदान की गई अपील दायर करने में सक्षम बनाने के लिए, अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी के विद्वान वकील के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि सजा 15 दिनों के लिए निलंबित रहेगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी , हरियाणा